निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 105/2000 तारीख दायरा 19.01.2000

उनवान

1. अमरलाल आत्मज पन्नालाल जाति मीणा।
2. धनराज आत्मज पन्नालाल मीणा।
3. रामस्वरूप आत्मज पन्नालाल मीणा।
4. रतनलाल आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तहसील सांगोद।

— वादीगण

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र भंवरलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

1/1. मुरलीधर पुत्र स्व0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तह0 सांगोद।

2. प्रहलाद पुत्र भंवरलाल जाति मीणा।

3. मौतीलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा।

4. सूरजमल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासीगण विनोदखुर्द तहसील सांगोद।

5. गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तहसील सांगोद।

6. लाला पुत्र जोधा मृतक जरिये कायम मुकामान :—

6/1. चन्द्र बाई बेवा लाला जाति मीणा।

6/2. चतुर्भुज आत्मज लाला जाति मीणा।

6/3. रामगोपाल आत्मज लाला जाति मीणा निवासीगण विनोदखुर्द तह0 सांगोद।

6/4. भूलाबाई पुत्री लाला पत्नी रविकान्त जाति मीणा निवासी मालीहेडी तह0 सांगोद।

6/5. कल्याण बाई पुत्री लाला पत्नी नामालुम जाति मीणा निवासी गुहावदा तह0 सांगोद।

6/6. तीजू बाई पुत्री लाला पत्नी परसराम जाति मीणा निवासी खेडली खोदा तह0 सांगोद जिला कोटा।

7. भैरूलाल पुत्र जोधा जाति मीणा निवासी ग्राम विनोदखुर्द तह0 सांगोद।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

8. जड़ाव बाई पुत्री जोधा जाति मीणा निवासी वेंगणा तह0 अन्ता।

9. आनन्दीलाल पुत्र जोधा जाति मीणा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

9/1. घनश्याम पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी वंयूलिया वरखेड़ा तह0 सांगोद।

9/2. प्रेमशंकर पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी हनुमतखेड़ा तह0 अन्ता।

9/3. बद्री बाई बेवा आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी हनुमतखेड़ा तहसील अन्ता जिला बांरा।

9/4. समेदराबाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी .... जाति मीणा निवासी वेंगणा वाले कंसुआ कोटा।

9/5. शोधरा पुत्री आनन्दीलाल पत्नी जमनालाल जाति मीणा निवासी र्जि0 विद्युत मण्डल विभाग पनवाड तह0 खानपुर।

9/6. संतोषबाई पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगवानपुरा तह0 खानपुर।

10. लटुरलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी हनुमतखुडा तह0 अन्ता।

11. गोरधन पुत्र रामनारायण मीणा।

12. दाखा बाई बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तह0 अन्ता।

13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.11.2022

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible] वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि [illegible] बम्बुलियां कटारिया तहसील सांगोद खसरा नं0 124 की रकबा 18 बीघा [illegible] बिस्वा आराजी स्थित है। खसरा नं0 124 की रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा आराज[illegible] वर्तमान जमाबन्दी सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

2052 से 2055 में प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 5 के पिता मृतक भंवरलाल एवं प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 12 के शामलाती खाते से दर्ज रिकार्ड है तथा खाते में अंकित बाबूलाल लाऔलाद ही मर चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण का वंश निम्न प्रकार है :–

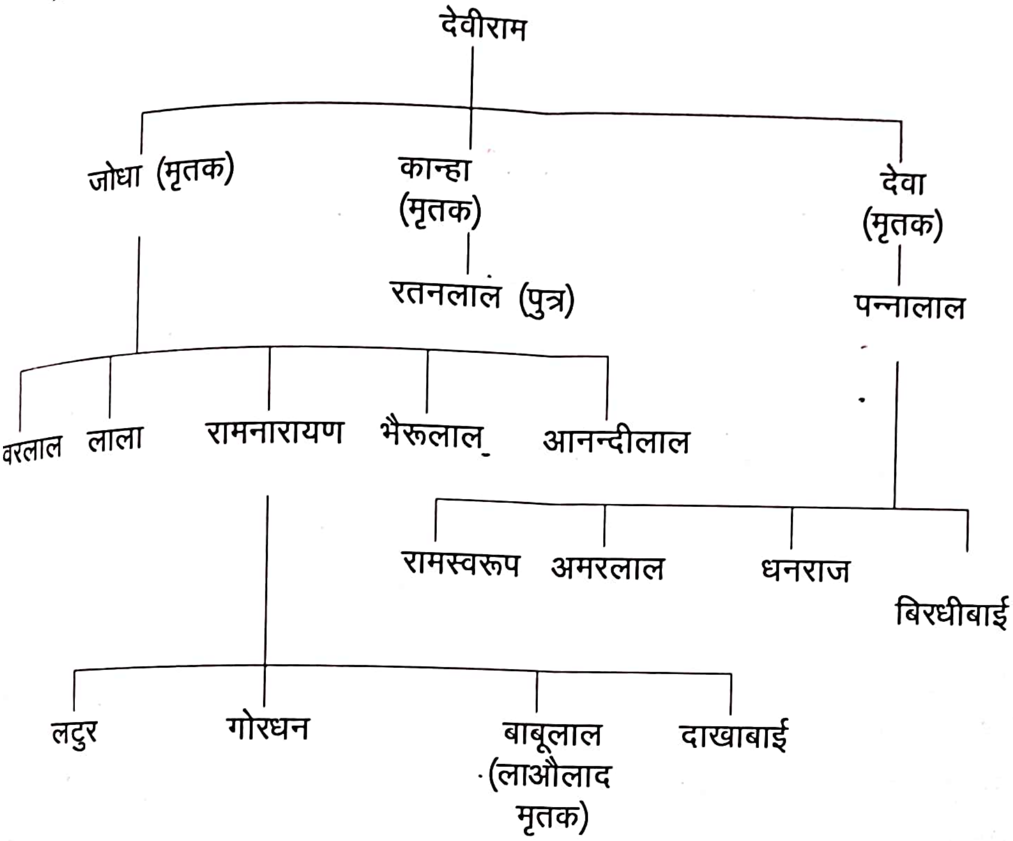

वाद पत्र में वर्णित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज जोधा, देवा व कान्हा करीब 60 वर्षो से काबिज काश्त रहे हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी अपने–अपने हिस्से मुताबिक जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा उत्तरी–पूर्वी तरफ का तथा वादीक्रम 5 का 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 का हिस्सा उत्तरी पश्चिमी साइड का है जिसको वादीगण तथा प्रतिवादीगण पृथक–पृथक काश्त करते हैं और मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण शांति पूर्वक कब्जे काश्त में है तथा इस वर्ष भी वादीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात में सरसों की फसल बो रखी है।

उक्त विवाद ग्रस्त आराजीयात पर संवत 1996 से 2012 तक विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों मे वादी क्रम 5 के पिता कान्हा का नाम और खातेदार कृषक चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

तथा प्रतिवादीगण पृथक–पृथक काश्त करते हैं और मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण

चल रहा था तथा खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी में प्रतियादीगण व वादीगण क्रम 1 लगायत 4 के दादा का नाम बतौर जेली काश्त दर्ज होता रहा है। सम्वत 2010 में राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश खसरा तरमीम के वक्त सहवन से खसरा तरमीम के कॉलम 13 में गत चकबन्दी के कृषक के नाम की जगह पर भी जोधा बेटा देवीराम अंकित कर दिया एवं कॉलम संख्या 13 व 14 से तरमीम व तसदीक के समय भी जोधा पुत्र देवीराम अंकित करने की भूल की है, जिसके कारण सहवन से आगे बन्दोबस्त के बाद से जमाबन्दी के अभिलेख से उक्त वाद ग्रस्त आराजी जोधा तथा इसकी मृत्यु के बाद वर्तमान में उनके उत्तराधिकरीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई है। जबकि वास्तविकता में उक्त विवाद ग्रस्त आराजी- कानून वादी क्रम 5 के ही खाते में बन्दोबस्त के बाद अंकित होना चाहिये थी या कब्जे काश्त के आधार पर देवा, कान्हा, जोधा तीनों के सम्मिलित रूप से कब्जे काश्त के आधार पर बन्दोबस्त के बाद आराजीयात तीनों के खाते लगनी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं करने की राजस्व कर्मचारियों ने भूल की है, जिसके कारण वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड मे गलत प्रविष्टि अंकित हो रही है, जिसको दुरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वादीगण का नाम खाते में दर्ज नहीं होने से अपने हिस्से की आराजीयात का विकास कार्य करने में वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है, जिसके कारण वादीगण अपने परिवार व आराजीयात जो अपने हिस्से व कब्जे काश्त की है, का विकास करने से महरूम रह जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अपने अपने हिस्से की कब्जे काश्त अनुसार विधिवत राजस्व रेकार्ड में बंटवारा कराने की कहने तथा हलका पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर व वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होन की जानकारी प्राप्त हुई तथा इसकी कार्यवाही वादीगण ने तहसीलदार साहब. सांगोद के यहां भी की, किन्तु तहसीलदार साहब सांगोद द्वारा मना कर दिया और कहा कि यह कार्यवाही सहाय कलेक्टर साहब के क्षेत्राधिकार की है, इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमावें :-

माल ग्राम बम्बूलियां कटारिया तहसील [illegible] 124 की रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आराजी के राजस्व कर्मचारियों [illegible] सम्वत 2010 में खसरा तरमीम के वक्त खसरा तरमीम के कालम 13 में गत चक[illegible]दी के कृषक के नाम की जगह पर भी जोधा पुत्र श्री देवाराम का ही नाम दर्ज कर दिया, जिसे राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद

इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादीगण का नाम उनके कब्जा व काश्त अनुसार वाद पत्र की में वर्णितानुसार हिस्से पर नाम दर्ज किया जावें। वादीगण क्रम 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का तथा वादी क्रम 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड जमावन्दी मे वाद ग्रस्त आराजी के 1/3, 1/3 हिस्से पर वादीगण क्रम 1 लगायत 4 का व 5 का नाम अंकित किया जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जाने के समुचित आदेश प्रदान करें तथा वादीगणं व प्रतिवादीगण का अपने–अपने कब्जे काश्त अनुसार वादीगण क्रम 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा उत्तरी पुर्वी तरफ का तथा वादी क्रम 5 का 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का तथा प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा उत्तर पश्चिमी तरफ का अलग अलग किया जाकर विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। प्रकरण में पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी एवं जवाब सरकार का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं बहस वादी सुनने के बाद वादीगण का वाद स्वीकार किये जांने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 03.12.2020 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार सांगोद को रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादीगण स्वीकृत कर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम बम्बूलियां कटारिया तहसील सांगोद की ख.न. 394 रकबा 2.08 है. एवं ख.न. 395 रकबा 0.89 है. आराजी (पूर्व में खसरा नं0 124 की रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा आराजी) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला– कोटा

क्र0 सं0	नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	लगान
1	बम्बोलिया कटारिया	अमरलाल पुत्र पन्नालाल धनराज पुत्र पन्नालाल रामस्वरूप पुत्र पन्नालाल	394 उत्तर पूर्व हिस्सा 1/3	0.99	21.78
			कुल किता 1	0.99	21.78
2	बम्बोलिया कटारिया	रतनलाल पुत्र काना	394 दक्षिण हिस्सा 1/3	0.99	21.78
			कुल किता 1	0.99	21.78
3	बम्बोलिया कटारिया	मुरलीधर पुत्र बिरधीलाल प्रहलाद पुत्र भंवरलाल मोतीलाल पुत्र भंवरलाल सूरजमल पुत्र भंवरलाल गोपाल पुत्र भंवरलाल	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
4	बम्बोलिया कटारिया	चन्द्रबाई पत्नि लाला कल्याण बाई पुत्री लाला तीजू पुत्री लाला चतुर्भुज पुत्र लाला रामगोपाल पुत्र लाला	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
5	बम्बोलिया कटारिया	धनश्याम पुत्र आनन्दीलाल प्रेमशंकर पुत्र आनन्दीलाल समेदरा बाई पुत्री आनन्दीलाल शोधरा बाई पुत्री आनन्दीलाल बद्रीबाई बेवा आनन्दीलाल सन्तोष बाई पुत्री आनन्दीलाल	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
6	बम्बोलिया कटारिया	लटूरलाल पुत्र रामनारायण गोरधन पुत्र रामनारायण दाखा बेवा रामनारायण	395 हि[illegible] 394 उत्तर [illegible] हिस्सा 1/[illegible]	0.89 0.10	19.58 2.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

7	बम्बोलिया कटारिया	भैरूलाल पुत्र जोधा	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
8	बम्बोलिया कटारिया	जडाब बाई पुत्री जोधा	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घाषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद
(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा
(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 19.01.2000

प्रकरण संख्या : 105/2000

उनवान

1. अमरलाल आत्मज पन्नालाल जाति मीणा।
2. धनराज आत्मज पन्नालाल मीणा।
3. रामस्वरूप आत्मज पन्नालाल मीणा।
4. रतनलाल आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तहसील सांगोद।

— वादीगण

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र भंवरलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

1/1. मुरलीधर पुत्र स्व0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तह0 सांगोद।

2. प्रहलाद पुत्र भंवरलाल जाति मीणा।
3. मौतीलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा।
4. सूरजमल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निंवासीगण विनोदखुर्द तहसील सांगोद।
5. गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी विनोदखुर्द तहसील सांगोद।
6. लाला पुत्र जोधा मृतक जरिये कायम मुकामान :—

6/1. चन्द्र बाई बेवा लाला जाति मीणा।

6/2. चतुर्भुज आत्मज लाला जाति मीणा।

6/3. रामगोपाल आत्मज लाला जाति मीणा निवासीगण [illegible]खुर्द तह0 सांगोद।

6/4. भूलाबाई पुत्री लाला पत्नी रविकान्त जाति मीणा निवासी [illegible] तह0 सांगोद।

6/5. कल्याण बाई पुत्री लाला पत्नी नामालुम जाति मीणा निवासी गुहावदा तह0 सांगोद।

6/6. तीजू बाई पुत्री लाला पत्नी परसराम जाति मीणा निवासी खेडली खोदा तह0

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

सांगोद जिला कोटा।

7. भैरूलाल पुत्र जोधा जाति मीणा निवासी ग्राम विनोदखुर्द तह0 सांगोद।

8. जडाव बाई पुत्री जोधा जाति मीणा निवासी वेंगणा तह0 अन्ता।

9. आनन्दीलाल पुत्र जोधा जाति मीणा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

9/1. घनश्याम पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी बंबूलिया वरखेडा तह0 सांगोद।

9/2. प्रेमशंकर पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी हनुमतखेडा तह0 अन्ता।

9/3. बद्री बाई बेवा आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी हनुमतखेडा तहसील अन्ता जिला बांरा।

9/4. समेदराबाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी .... जाति मीणा निवासी वेंगणा वाले कंसुआ कोटा।

9/5. शोधरा पुत्री आनन्दीलाल पत्नी जमनालाल जाति मीणा निवासी रजि0 विद्युत मण्डल विभाग पनवाड तह0 खानपुर।

9/6. संतोषबाई पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगवानपुरा तह0 खानपुर।

10. लदुरलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी हनुमतखुडा तह0 अन्ता।

11. गोरधन पुत्र रामनारायण मीणा।

12. दाखा बाई बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तह0 अन्ता।

13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:47:12 IST
Reason: SelfAttested

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ ... डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुद्दायलान पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

माल ग्राम बम्बूलियां कटारिया तहसील सांगोद की ख.न. 304 रकबा 2.00 एवं ख.न. 395 रकबा 0.99 है. आराजी (पूर्व में खसरा नं0 124 की रकबा 18 बीघा 7 ...वा आराजी) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित ...या जाता है –

नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	लगान
बम्बोलिया कटारिया	अमरलाल पुत्र पन्नालाल	304 उत्तर पूर्व हिस्सा 1/3	0.99	21.78
	धनराज पुत्र पन्नालाल			
	रामस्वरूप पुत्र पन्नालाल			
		कुल किता 1	0.99	21.78

बम्बोलिया कटारिया	रतनलाल पुत्र काना	304 दक्षिण हिस्सा 1/3	0.99	21.78
		कुल किता 1	0.99	21.78

बम्बोलिया कटारिया	मुरलीधर पुत्र बिरधीलाल	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
	प्रहलाद पुत्र भंवरलाल			
	मोतीलाल पुत्र भंवरलाल			
	सूरजमल पुत्र भंवरलाल			
	गोपाल पुत्र भंवरलाल			

बम्बोलिया कटारिया	चन्द्रबाई पत्नि लाला	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा 1/18	0.89 0.10	19.58 2.20
	कल्याण बाई पुत्री लाला			
	तीजू पुत्री लाला			
	चतुर्भुज पुत्र लाला			
	रामगोपाल पुत्र लाला			

5	बम्बोलिया कटारिया	धनश्याम पुत्र आनन्दीलाल	395 हिस्सा 1/6 394 उत्तर पश्चिम हिस्सा [illegible]	0.89 0.10	19.58 2.20
		प्रेमशंकर पुत्र आनन्दीलाल			
		समेदरा बाई पुत्री आनन्दीलाल			
		शोधरा बाई पुत्री आनन्दीलाल			
		वद्रीबाई बेवा आनन्दीलाल			

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा